<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> <u>जिला बालाघाट(म०प्र०)</u>

<u>प्रकरण क्रमांक 750 / 2013</u> <u>संस्थित दिनांक –26 / 08 / 13</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना गढ़ी जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

/ / विरूद्ध / /

01. सोनूसिंह धुर्वे पिता छाते धुर्वे उम्र 45 साकिन कटंगटोला कुकर्रा, थाना गढ़ी जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::निर्णय::

<u> [दिनांक 23 / 02 / 2017 को घोषित]</u>

- 1. आरोपी सोनसिंह के विरूद्ध धारा—337 भा.द वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 05/07/13 को शाम के 07:30 बजे स्थान चुचरंगपुर (कुकर्रा) कोलाझोड़ी के पास बर्रा जमीन थाना गढ़ी अंतर्गत बिजली की नंगी जी.आई. तार को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से फैलाकर कुवरसिंह को करेन्ट लगाकर उपहति कारित की।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.07.13 को सी.एच.सी. बैहर से तहरीर जांच हेतु प्राप्त होने पर आहत कुवरसिंह एवं नैनसिंह के कथन लेख किये जिन्होंने बताया कि दिनांक 05.07.13 को शाम 07:30 बजे बैल ढूढ़ने जाते समय गोलाई के पास बर्रा जमीन में सोनूसिंह गोंड़ द्वारा जंगली जानवर मारने हेतु रोड़ किनारे जानेवाली विद्युत लाईन का अवैध कनेक्शन लेकर जी.आर. तार की चपेट में आने से करण्ट लगने से जलकर कुवरसिंह घायल हो गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। दौरान विवेचना के मौकानक्शा बनाकर गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल से तार जप्त कर आरोपी को गिरफतार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 3. न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ धारा 337 मा.द.वि. के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपी द्वारा आरोपित अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा आरोपी का अभिवाक उसके शब्दों में अंकित किया गया। आरोप ने धारा 313 द.प्र.सं के अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए बचाव साक्ष्य न देना प्रकट किया।
- 4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - (1) क्या आरोपी सोनूसिंह ने दिनांक 05/07/13 को शाम के 07:30 बजे स्थान चुचरंगपुर (कुकर्रा) कोलाझोड़ी के पास बर्रा जमीन थाना गढ़ी अंतर्गत बिजली की नंगी जी.आई. तार को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से फैलाया जिससे कुवरसिंह को करेन्ट लगाकर उपहति कारित किया?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न कमांक 1

- 5. कुंवरसिंह (अ०सा०—1) का कहना है कि घटना दो वर्ष पुरानी ग्राम कुकर्रा में शाम के समय की है। वह अपने बैल ढूढ़ने गया था तो बिसनसिंह के खेत में जानवर घुसने से रोकने के लिए सोनूसिंह द्वारा बिछाये गये तार में फंस गया और करण्ट लगने से बेहोश हो गया। उसे कमर से पैर तक बिजली का करण्ट लगा था। उसका भाई नैनसिंह उसके साथ जो उसे उटाकर घर ले गया था। उसका ईलाज सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैहर में हुआ था। आरोपी सोनूसिंह की गलती से उसे करण्ट लगा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 6. नैनसिंह (अ०सा०—2) का कहना है कि घटना के समय वह और उसका भाई अपने बैल ढूढ़ने जा रहे थे तो उसका भाई कुंवरसिंह बिजली के करण्ट के तार में फस गया था। जिसको बिसनसिंह के खेत में जानवर घुसने से रोकने के लिए सोनूसिंह ने बिछाया था। करण्ट लगने से उसका भाई बेहोश हो गया था। उसके भाई को कमर से पैर तक में बिजली का करण्ट लगा था। वह कुंवरसिंह को उठाकर अपने घर ले गया। फिर सोनूसिंह को ढूंढ़ा जिसने बताया कि उसने बिजली का तार बिछाया था। उसके भाई का ईलाज सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैहर में हुआ था। घटना आरोपी सोनूसिंह की गलती से हुई थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 पुलिस थाना गढ़ी में लिखाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 7. गोरेलाल (अ०सा०—6) का कहना है कि घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है। ग्राम कुकर्रा चुचरंगपुर के पास किसी ने जंगली जानवरों से बचाव के लिए बिजली का तार डाला था। जिसमें कुवरसिंह की दुर्घटना हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका पंचनामा बनाया प्र.पी05 तथा मौकानक्शा प्र. पी.06 बनाया था जिसके ए

3

से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से जी. आई.तार, प्लास्टिक कवर, रबर ट्यूब के टुकडे, बांस की खूटी तथा बांस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी02 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि नयनसिंह ने उसे आकर बताया था कि शाम करीब 07:30 बजे वह अपने भाई कुवरसिंह के साथ बैल ढूढ़ने गया था तो कोलाझोड़ी के पास बर्रा में किसी व्यक्ति ने विद्युत लाईन का अवैध कनेक्शन लकर तार में करण्ट फैलाया जिसमें कुवरसिंह का पैर आने से वह बेहोश गया। एक व्यक्ति बिजली पोल के पास तार निकाल रहा था जो आरोपी सोन्सिंह था।

- 8. रनमतिसंह (अ०सा०—3) का कहना है कि घटना एक डेढ़ साल पूर्व की है। उसे नैनिसंह ने घर पर आकर बताया था कि कुंवरिसंह को खेत में फैलाये गये तार विद्युत से करण्ट लग गया है। जिसे सोनूसिंह ने फैलाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये था। वह कुंवरिसंह को देखने गया था जिसके चेहरे से लेकर पैर तक का भाग जल गया था। दूसरे दिन उसने घटनास्थल पर जाकर देखा तो 11,000 वोल्ट के विद्युत लाईन से जी.आई.तार से करण्ट फेलाये था। आरोपी सोनूसिंह से पूछने पर उसने जंगली जानवरों को मारने के लिए करण्ट फैलाया हूँ बताया था। पुलिस ने घटनास्थल से उसके समक्ष बांस की लकड़ी, खूटी एवं जी.आई तार जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 9. डां. एन.एस.कुमरे (अ०सा०—5) का कहना है कि दिनांक 05.07.13 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैहर में पदस्थापना के दौरान उनके द्वारा एक तहरीर टी.आई.बैहर को रात्रि 11:50 मिनिट पर आहत कुंवरसिंह निवासी कुकरीं को भर्ती करने के संबंध में दी गयी थी। लानेवालों के अनुसार बिजली के करण्ट से चोटें आयी थी। थाना बैहर से सहायक उपनिरीक्षक मिस्टर झारिया के अनुरोध पर आहत का चिकित्सीय परीक्षण करने पर दाहिने पैर पर, हाथ एवं पेट के मध्य भाग पर सफेद रंग के जले के निशान पाया था। आहत अर्द्ध बेहोशी की हालत में था जो ईलाज उपरांत होश में आ गय था। आहत को चोटे बिजली के करण्ट से आ सकती हैं। आहत को आगे ईलाज हेतु जिला बालाघाट रिफर किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 10. रंजीत राहंगडाले (30सा0-4) का कहना है कि उसे पता चला था कि ग्राम चुचरंगपुर के जंगल में करण्ट का तार फैलाया गया था जिसमें एक आदमी टकरा गया था। जिसके पैर में गंभीर चोट आयी थी। उसने घटना के संबंध में पुलिस थाना प्रभारी गढ़ी एक प्रतिवेदन प्र.पी.03 प्रेषित किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रतिवेदन में उसने दिनांक 05.07.2013 को शाम साढ़े सात बजे घटनास्थल ग्राम चुचरंगपुर कुकर्रा से ग्यारह हजार वोल्ट के विद्युत धारा प्रवाहित होने की बात बतायी थी।
- 11. जी.एल.चौधरी (अ०सा०—७) का कहना है कि दिनांक ०७.०७.२०13 को पुलिस थाना गढ़ी में पदस्थापना के दौरान थाना बैहर से अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर जांच पश्चात आरोपी सोनूसिंह के विरूद्ध अपराध क 39/13 धारा 337 भा.दं.सं. एवं धारा 139 विद्युत अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.०७ लेख किया था जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर

हैं। उसके द्वारा आहत कुंवरसिंह की चोट के संबंध में डाक्टर बैहर से क्वेरी प्र. पी08 करवायी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान आहत कुंवरसिंह, नयनसिंह, रनमतसिंह, गोरेलाल धुर्वे के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही मौका पंचनामा प्र.पी.05 गवहा रनमत एवं गोरेलाल के समक्ष तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल पर जाकर मौकानक्शा प्र. पी.06 साक्षी गोरेलाल धूर्वे की निशानदेही पर तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से जी.आई.तार काले प्लास्टि कवर में करीब चार फूट लंबा, बांस की खुटी बीस नग, एक बांस करीब सोलह फूट पांच इंच लम्बा जिस पर जी.आई.तार बंधा था जप्त किया था जो प्र.पी.02 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 15.07.13 को आरोपी सोनूसिंह को गवाह बिसनसिंह और देवीसिंह के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.09 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपी सोन्सिंह के विरुद्ध चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया था जिसका मुल चालान 40 / 13 विशेष न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 337 भा.दं.सं. का पूरक चालान बैहर न्यायालय में प्रस्तृत किया गया था, मूल चालान की सत्य प्रति पुरक चालान में संलग्न है।

- उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय बिजली के तार में फसकर आहत क्वरसिंह को चोटें आयीं थीं। परंत् क्या उक्त तार आरोपी सोन्सिंह द्वारा उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाई गयी थी इस संबंध में साक्ष्य का अभाव है। आहत कुवरसिंह अ०सा०१ तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नैनसिंह अ०सा०२ एवं रनमतसिंह अ०सा०३ ने आरोपी द्वारा घटनास्थल बिसनसिंह के खेत में तार बिछाने के कथन किये हैं। उक्त सभी साक्षियों ने प्रतिपरीक्षण में आरोपी को तार लगाते हुए नहीं दखने के कथन किये हैं। यद्यपि साक्षी गोरेलाल अ0सा06 ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर घटना के बाद आरोपी द्व ारा बिजली पोल के पास से बांस से विद्युत तार निकालने के कथन किये हैं तथापि उक्त कथन मात्र से यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि कथित तार आरोपी द्वारा लगाया गया। क्योंकि सभी साक्षियों ने घटनास्थल बिसनसिंह का खेत होने तथा आरोपी का घर घटनास्थल से लगभग एक कि0मी0 की दूरी पर होने के कथन किये हैं। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आरोपी द्वारा अन्य व्यक्ति के खेत में बिजली तार क्यों फैलाया गया। अभियोजन द्वारा बिसनसिंह का परीक्षण भी नहीं कराया गया है जिससे वस्तू स्थिति स्पष्ट होती क्योंकि लाईनमेन रंजीत राहंगडाले अ०सा०४ ने भी घटनास्थल पर न जाकर विवेचक के कहे अनुसार प्रतिवेदन प्र.पी.03 बनाने के कथन किये हैं। चूंकि आरोपी द्वारा कथित बिजली की जीआई.तार को फैलाने के संबंध में कोई साक्ष्य ही नहीं है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि घटना के समय आरोपी द्वारा विद्युत तार को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से फैलाकर आहत कुवरसिंह को उपहति कारित की गयी।
- अतः अभियुक्त सोनूसिंह धुर्वे पिता छत्ते धुर्वे को भा.दं०सं० की धारा 337 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं। 14.

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल चाहान के साथ मान्नीय विशेष 15. न्यायालय (विद्युत) बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत है। जिसके संबंध में मान्नीय विशेष न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, 16. इस संबंध में धारा 428 जा0फी0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबडा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबडा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) THE PARTY PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY